UPAG010011992021

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0 23, आगरा

उपस्थितः— शिप्रा आर्य, एच0जे0एस

फौजदारी निगरानी संख्या—26/2021

अम्बुज यादव पुत्र श्री रामचरन, वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा—मारूति स्टेट, थाना—जगदीशपुरा, आगरा।

—— **पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थी**

बनाम

1. उ0प्र0 राज्य
2. प्रशान्त सिंह सिसौदिया पुत्र श्री बबलू शाह सिसौदिया, नि0—मकान नं0—36/जी.टी./80जी., संजीव कुमार, फाउण्ड्री नगर, नरायच, थाना—एत्माद्दौला, जिला—आगरा।
3. बबलू शाह सिसौदिया पुत्र श्री उदयवीर शाह, निवासी—ग्राम गुतेरा, तहसील—सादाबाद, जिला—हाथरस।

.... **विपक्षीगण**

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्ता अम्बुज यादव के द्वारा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या—01, आगरा द्वारा प्रार्थनापत्र संख्या—159/2020, अम्बुज यादव बनाम प्रशान्त सिंह सिसौदिया आदि में पारित आदेश दिनांकित 20.10.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। इस आलोच्य आदेश से विद्वान अवर न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—156(3) द0प्र0सं0 को परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र धारा—156(3) द0प्र0सं0 अवर न्यायालय के समक्ष यह कहते हुए प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी, बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा—मारूति स्टेट थाना जदीशपुरा, जिला—आगरा में वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक के पद पर कार्यरत है तथा बैंक की ओर से विधिक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत है। प्रार्थी की उक्त बैंक एक निगमित निकाय है, जिसका गठन बैंकिंग कम्पनीज (एक्यूजीशन एण्ड ट्रान्सफर ऑफ अण्डर टेकिंग्स) अधिनियम—1970 के अधीन किया गया है, इसका प्रधान कार्यालय स्टार हाउस, जी.—ब्लॉक, प्लाट नं0—5, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलैक्स, बान्द्रा(ईस्ट),

मुम्बई–400051 में है और इसकी एक शाखा मारूति स्टेट, थाना–जगदीशपुरा, जिला आगरा में स्थित है। प्रशान्त सिंह सिसौदिया पुत्र श्री बबलू शाह सिसौदिया, निवासी–मकान नं0–36/जी.टी./80जी., संजीव नगर, फाउण्ड्री नगर, नरायच, थाना–एत्माद्दौला, जिला आगरा में प्रार्थी की बैंक शाखा में प्लाट खसरा संख्या–1292/92, गनेश नगर, विद्या निकेतन, नरायच, आगरा पर निर्माण हेतु हाउसिंग लोन सुविधा रूपये 15,00,000/–रूपये(पन्द्रह लाख रूपये) का आवेदन किया गया था तथा प्रशान्त सिंह सिसौदिया पुत्र श्री बबलू शाह सिसौदिया ने अपने उपरोक्त प्लाट के मालिकाना हक सम्बन्धी दस्तावेज हमारी बैंक के सम्मुख प्रस्तुत किये थे, जिसके आधार पर हमारी बैंक ने दिनांक–20.03.2015 को हाउसिंग ऋण स्वीकृत करते हुए 15,00,000/–रूपये(पन्द्रह लाख रूपये) की हाउसिंग सुविधा प्रदान कर दी थी। प्रशान्त सिंह सिसौदिया पुत्र बबलू शाह द्वारा निर्धारित मासिक किस्तों का निममित रूप से भुगतान न किये जाने के कारण उसका ऋण खाता हमारी बैंक द्वारा एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया है। प्रार्थी की बैंक के द्वारा जानकारी करने पर यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उपरोक्त प्रशान्त सिसौदिया के पिता श्री बबलू शाह सिसौदिया पुत्र श्री उदयवीर शाह नि0–ग्राम गुतेरा, तह0–सादाबाद, हाथरस, उक्त क्षेत्रफल–167.23 वर्गमीटर बॉके गढ़ी जीवनराम, मौजा–नरायच मुस्तकिल, तह0–एत्मादपुर, जिला–आगरा, का स्वामी था, जो बबलू शाह पुत्र श्री उदयवीर ने जमुना ग्रामीण बैंक(वर्तमान में ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावत), में दिनांक–14.01.2013 को ऋण 2,00,000/–रूपये के एवज में बन्धक रख दिया था। तदोपरान्त उक्त प्रशान्त सिंह सिसौदिया के पिता श्री बबलू शाह सिसौदिया पुत्र श्री उदयवीर ने मकान खसरा प्लाट सं0–1292/92, गनेश नगर, निकट विद्या निकेतन, नरायच, आगरा, रकवा–167.22 वर्गमीटर को इलाहाबाद बैंक की छिली ईंट रोड, शाखा–आगरा में दिनांक–07.02.2013 को ऋण 9,50,000/–रूपये के एवज में बन्धक कर दिया था। उक्त सम्पत्ति बन्धक करने के पश्चात् श्री बबलू शाह सिसौदिया पुत्र उदयवीर शाह ने गैर–कानूनी रूप से बेईमानी की नीयत से कपटपूर्वक बन्धक सम्पत्ति के कुल रकवे में से 83.61 वर्गमीटर(आधी सम्पत्ति) का बैनामा अपने पुत्र प्रशान्त सिंह सिसौदिया के पक्ष में दिनांक–22.01.2014 को निष्पादित कर पंजीकृत करा दिया, जिसके आधार पर हमारी बैंक ने उक्त प्रशान्त सिंह सिसौदिया की सम्पत्ति को बन्धक कर हाउसिंग लोन की सुविधा प्रदान कर दी और प्रशान्त सिंह सिसौदिया पुत्र श्री बबलू शाह सिसौदिया ने कपटपूर्वक हाउसिंग लोन प्राप्त कर लिया अर्थात् बैंक में बन्धक रखने के पूर्व सम्पत्ति दो बार पूर्व में जमुना ग्रामीण बैंक(वर्तमान में ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त) तथा इलाहाबाद बैंक, छिली ईंट रोड, शाखा में बन्धक थी। उक्त ऋणी प्रशान्त सिंह सिसौदिया पुत्र श्री बबलू शाह सिसौदिया तथा बबलू शाह सिसौदिया पुत्र श्री उदयवीर शाह ने एक षडयन्त्र के तहत बेईमानी की नीयत से, बैंक को दोषपूर्ण हानि कारित करते हुये स्वंय को दोष पूर्ण लाभ पहुंचाते हुये एवं कपटपूर्ण व धोखाधड़ी का कृत्य किया है और धोखा धड़ी एवं

फर्जीवाड़ा व अमानत में खयानत का अपराध किया है। तत्कालीन वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक श्री रविकान्त बघेल के द्वारा इस घटना की रिपोर्ट दिनांक–07.06.2019 को थाना जगदीशपुरा, आगरा में लिखित रूप में की, लेकिन कोई कार्यवाही न किये जाने पर दिनांक–04.07.2019 को श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, महोदय, आगरा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन उस पर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अतः ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर उचित कार्यवाही करने की प्रार्थना की गयी है।

इस संबंध में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली एवं साक्ष्य का अवलोकन कर आवेदक के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। इसी से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता/प्रार्थी द्वारा निम्न आधारों पर निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

निगरानी में निम्नलिखित आधार लिये गये हैं कि माननीय अवर न्यायालय द्वारा अपने आदेश में न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो कतई विधि सम्मत नहीं है। अभियुक्त द्वारा बैंक के साथ छल–फरेब एवं षडयन्त्र व धोखाधड़ी करते हुये फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर ऋण प्राप्त किया गया, जिसके दस्तावेजी साक्ष्य भी पत्रावली पर मौजूद थे, इसके बावजूद माननीय अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त मामले में अपराध सरकारी संस्थान के साथ किया गया है, जिसकी विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, जिससे षडयन्त्र में शामिल अन्य लोगों के नाम भी प्रकाश में आ सकते थे तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य जुटाये जा सकते थे, लेकिन अवर न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर न करते हुये आलोच्य आदेश पारित किया गया, जो अपास्त होने योग्य है। माननीय अवर न्यायालय द्वारा मात्र यह कहते हुये कि प्रार्थी/वादी को न्यायालय में परीक्षित कराकर सही तथ्य प्रकाश में आ सकते हैं, प्रकरण की विवेचना कराकर अतिरिक्त साक्ष्य संकलित किये जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में दर्ज करने के आदेश पारित किये गये हैं, जबकि उक्त मामले में विवेचना उपरान्त ही सही तथ्य, अतिरिक्त साक्ष्य तथा अन्य षडयन्त्रकर्ताओं के नाम प्रकाश में आ सकते हैं, जिसकी थाना हाजा में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कराया जाना आवश्यक है। उक्त प्रकरण में जॉच के उपरान्त ही उपरोक्त मुकदमे से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य एवं इस षडयन्त्र में लिप्त अन्य अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आ पायेंगे, जो कि पुलिस की जॉच से ही सम्भव है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता विद्वान अवर न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम, आगरा के आदेश दिनांकित–20.10.2020 से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत कर रहा है क्योंकि उपरोक्त अपेक्षित आदेश तथ्यों एवं विधि के सम्मत नहीं है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान अवर न्यायालय में रखे गये तथ्यों पर विचार न करके अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग न्याय के सम्मत नहीं किया है, इसलिये आदेश दिनांकित–20.10.2020 युक्तियुक्त

नहीं है तथा अपास्त होने योग्य है। अतः निगरानी को स्वीकार कर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.10.2020 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

विपक्षी संख्या–2 व 3 की ओर से पर्याप्त तामील होने के बाद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः ऐसी स्थिति में मैंने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया एवं अवर न्यायालय की पत्रावली व विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 20.10.2020 का भी अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित हो रहा है कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156(3) द0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया जिसे विद्वान अवर न्यायालय द्वारा परिवाद में दर्ज किया गया। प्रश्नगत आदेश में विद्वान अवर न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि आवेदक द्वारा जो कथन किये गये हैं, वह सभी उसकी जानकारी में हैं तथा वह स्वंय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। जबकि प्रार्थी/निगरानीकर्ता का कथन है कि विपक्षी संख्या–2 के द्वारा प्रार्थी/निगरानीकर्ता की बैंक में हाउसिंग ऋण हेतु आवेदन किया था। बैंक के द्वारा विपक्षी संख्या–2 का ऋण स्वीकृत किया गया एवं उसके द्वारा मासिक किश्तों का नियमित रूप से भुगतान न करने के कारण उसका ऋण खाता बैंक के द्वारा एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया। प्रार्थी/निगरानीकर्ता की बैंक द्वारा जानकारी करने पर यह तथ्य संज्ञान में आया कि विपक्षी संख्या–2 के पिता विपक्षी संख्या–3 क्षेत्रफल 167.23 वर्गमीटर बॉकें गढ़ी जीवनराम, मौजा नरायच मुस्तकिल, तहसील एत्मादपुर, जिला आगरा का स्वामी था एवं उक्त सम्पत्ति को विपक्षी संख्या–3 ने जमुना ग्रामीण बैंक(वर्तमान में ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त) में दिनांक–14.01.2013 को 2 लाख रूपये के ऋण के एवज में बन्धक रख दिया था। तदोपरान्त उक्त सम्पत्ति को पुनः विपक्षी संख्या–3 ने इलाहाबाद बैंक में 9 लाख 50 हजार रूपये के एवज में बन्धक कर दिया। उक्त सम्पत्ति बन्धक करने के पश्चात विपक्षी संख्या–3 ने बेईमानी की नीयत से बन्धक सम्पत्ति में से 83.61 वर्गमीटर का बैनामा अपने पुत्र विपक्षी संख्या–2 के पक्ष में निष्पादित कर पंजीकृत करा दिया, जिसके आधार पर विपक्षी संख्या–2 ने प्रार्थी/निगरानीकर्ता की बैंक में हाउसिंग ऋण हेतु आवेदन किया। विपक्षी संख्या–2 व 3 द्वारा षडयन्त्र के तहत व बेइमानी की नीयत से कपटपूर्ण व धोखाधड़ी का कृत्य किया है। विपक्षीगण द्वारा फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर ऋण प्राप्त किया गया। जिसकी विवेचना, विवेचना अधिकारी द्वारा किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, जिससे षडयन्त्र में शामिल अन्य लोग के नाम भी प्रकाश में आ सके। निश्चित रूप से निगरानीकर्ता के उक्त तर्कों में बल प्रतीत होता है।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या–2 द्वारा जिस सम्पत्ति को बन्धक कर लोन स्वीकृत कराया गया है, वह पूर्व में भी विपक्षी संख्या–3 द्वारा बन्धक

रखी गयी है, जिससे यह प्रतीत होता है कि विपक्षी संख्या–2 द्वारा जानते–बूझते पूर्व में बन्धक सम्पत्ति को पुनः बन्धक रख ऋण स्वीकृत कराया गया। अतः पत्रावली के अवलोकन व समग्र विवेचन के आधार पर विद्वान मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जाना न्यायोचित होगा कि वह निगरानी में दिये गये विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता/प्रार्थी को सुनकर प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156(3) द0प्र0सं0 का विधि अनुसार निस्तारण करे।

तद्नुसार मैं प्रश्नगत आदेश में निगरानी न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किये जाने के पर्याप्त आधार पाती हूं। अतः निगरानी स्वीकार करते हुये प्रश्नगत आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

दाण्डिक निगरानी स्वीकार की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित–2.10.2020 निरस्त किया जाता है। विद्वान मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जाता है कि वे निगरानी के निर्णय में व्यक्त किये गये विचारों के अनुपालन में प्रार्थी को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 156(3) द0प्र0सं0 पर पुनः सुनवाई का अवसर देते हुये प्रार्थना पत्र विधि अनुसार निस्तारण करें। प्रार्थी विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक–05.01.2022 को उपस्थित हो।

आदेश की एक प्रति के साथ तलबशुदा मूल पत्रावली अवर न्यायालय को प्रति प्रेषित की जाये।

ह0
(शिप्रा आर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं0 23, आगरा

दिनांकः 18.12.2021

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

ह0
(शिप्रा आर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं0 23, आगरा

दिनांकः 18.12.2021